न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी:– डॉ0 साधना शर्मा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :–119/2022

जीसीएमएस संख्या:– 2022/245

मुन्नी पुत्री नत्थीलाल पत्नी रतनसिंह जाति कुशवाह निवासी ग्राम लूला का पुरा तहसील मनियां हाल निवासी निशोरे का पुरा धौलपुर

....................वादीगण

बनाम

1. लक्ष्मी
2. बेताली
3. मुकेश

   पुत्रगण स्व0 श्री नत्थीलाल जातिगण कुशवाह निवासीगण ग्राम लूला का पुरा मांगरोल तहसील मनियां जिला धौलपुर
4. गुड्डी पुत्री नत्थीलाल पत्नी पप्पू जाति कुशवाह निवासी ग्राम लूला का पुरा तहसील मनियां जिला धौलपुर हाल निवासी ग्राम कट्टपुरा तहसील बाडी जिला धौलपुर
5. रामरती पुत्री नत्थीलाल पत्नी नत्थीलाल पत्नी अनारसिंह जाति कुशवाह निवासी ग्राम लूला का पुरा तहसील मनियां जिला धौलपुर हाल निवासी ग्राम कट्टपुरा तहसील बाडी जिला धौलपुर
6. मुन्नी पत्नी महाराज सिंह जाति कुशवाह निवासी ग्राम खादर पोस्ट अयेला तहसील खेरागढ जिला आगरा उत्तर प्रदेश

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मनियां धौलपुर।

............मूल प्रतिवादीगण

............तरतीवी प्रतिवादी

दावा वास्ते बटवारा काश्त, एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटी एक्ट

निर्णय

दिनांक 21.07.2025

वादी ने विरूद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 22.12.2022 को एक राजस्व वाद बाबत् दावा वास्ते बटवारा काश्त, एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटी एक्ट न्यायालय में पेश किया। जो बाद तहकीकात दिनांक 14.02.2025 को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया गया, तथा तहसीलदार मनियां से विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। तहसीलदार मनियां ने पत्रांक 609 दिनांक 01.07.2025 से विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में प्रेषित किये है। तहसीलदार मनियां के द्वारा प्राप्त हुए प्राप्त

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

विभाजन प्रस्तावों पर वकील वादी को सुना गया, वकील वादी ने विभाजन प्रस्ताव पर अपनी सहमति जाहिर की, एवं मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमने वकील वादी की बहस का मनन किया एवं तहसीलदार मनियां से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातों का अवलोकन किया विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही है। ऐसी स्थिति में दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर पक्षकारों को विवादित आराजी खसरा नम्बर स्थिति ग्राम परसौदा पटवार हल्का मढाभाऊ तहसील मनियां जिला धौलपुर में निम्नानुसार पृथक– पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:–

क्र.सं.	नाम काश्तकार	खसरा नबंर	श्रकबा
	लक्ष्मी, बेताली, मुकेश पुत्रगण व गुड्डी, रामरती पुत्रीयान पि0 नत्थीलाल हि0व0हि0 पूर्ण जाति काछी सा0 लूला का पुरा खातेदार	128/1	0.7114
	मुन्नी पुत्र नत्थीलाल हि0 पूर्ण जाति काछी हि0 पूर्ण सा0 लूला का पुरा हाल निवासी निशोरे का पुरा खातेदार	128/2	0.1422
	मुन्नी पत्नी महाराज सिंह जाति काछी हि0 पूर्ण सा0 खादर पोस्ट अयेला तहसील खेरागढ आगरा उत्तर प्रदेश	128/3	0.2845

राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार इन्द्राज किये जाकर खाता एवं लगान पृथक–पृथक कायम ये जाने के आदेश दिये जाते है। आराजीयात के लगान के 20 गुणा पर देय मुद्रांक शुल्क के म्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो हस्व ता दाखित दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 21.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया ा।

(डॉ साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर